छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5. दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20–62/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "**औद्योगिक नीति 2019–24**" की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–12 तथा परिशिष्ट–6.12 के प्रावधानों के अनुरूप " **तकनीकी पेटेन्ट अनुदान** " को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2019** से "**छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2019**" निम्नानुसार लागू करता है :–

(1) परिचय :–

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके "पेटेन्ट" व "बौद्धिक संपदा" के अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उद्देश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू की गई है ।

2 परिभाषाएं :–

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं, वहीं मान्य होंगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के "परिशिष्ट–1" पर दी गयी हैं।

3– नियम –

यह नियम "**छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2019**" कहे जावेगें।

4– पात्रता –

(4.1) औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि, दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट–5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर) राज्य में स्थापित पात्र नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके उत्पाद/उत्पादन प्रक्रिया में किये गये मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट पर अनुदान की पात्रता होगी।

(2) औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट स्वीकृति के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति हो जाने का दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक/जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर पूर्ण आवेदन संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन तकनीकी पेटेन्ट अनुदान हेतु आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति की समयावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार नहीं होंगे। यदि किसी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समयावधि औद्योगिक नीति की समाप्ति के पश्चात् आती है,

तो संबंधित इकाई के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष मानी जावेगी।

(3) उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन स्वीकृति होने के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(4) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय /राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/ वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट स्वीकृति पर/अनुसंधान स्वीकृति पर अनुदान प्राप्त किया हो तो उन्हें इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(5) भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/पंजीकृत पेटेन्ट हाउस/अनुसंधान केन्द्रों से पेटेन्ट/अनुसंधान पंजीकृत कराने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(6) इस नीति की अवधि में औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद/प्रक्रिया/शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

(7) विकसित उत्पाद/ प्रकिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है या "अनुसंधान" स्वीकृत हुआ है, का वाणिज्यिक उत्पादन /उपयोग औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा।

(8) औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 21 के अनुसार राज्य शासन द्वारा पृथक से चिन्हांकित/अधिसूचित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

5 प्रक्रिया व अधिकार –

5.1 पात्र औद्योगिक इकाईयों को निम्नांकित दस्तावेजों के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अपूर्ण आवेदन एक बार में ही कमियां बताते हुए वापिस किये जावेंगे –

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0 /औद्योगिक लायसेंस /आशय पत्र

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र/उद्योग आधार/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र।

(3) **"उपाबंध–2"** में निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र।

(4) तकनीकी पेटेंट/अनुसंधान स्वीकृति से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र।

(3) **उपाबंध–1** में निर्धारित प्रारूप में नोर्टराईज्ड शपथ पत्र।

5.2 मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण व स्थल निरीक्षण कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध–3" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

5.3 मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई के आवेदन का निराकरण 30 दिवसों के भीतर करना सुनिश्चित किया जावेगा तथा स्वीकृति आदेश/निरस्तीकरण आदेश ऑनलाईन अपलोड किया जावेगा।

5.4 तकनीकी पेटेन्ट/अनुसंधान से संबंधित अनुदान स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा तकनीकी पेटेंट अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.5 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.6 बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे ऑनलाईन प्रणाली से औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट)/एन.ई.एफ.टी द्वारा अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा। **अनुदान राशि का नगद वितरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।**

5.7 बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा एवं इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही होगा।

5.8 तकनीकी पेटेन्ट/अनुसंधान हेतु बजट का आबंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा।

5.9 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 अथवा तत्समय लागू परिपत्र/निर्देश/ आदेश के अनुसार की जावेगी ।

6 अनुदान की मात्रा –

6.1 औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य/आविष्कार पर पेटेंट पंजीकरण/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् या अनुसंधान स्वीकृति होने के उपरांत सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय /प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी को व्यय का 55 प्रतिशत एवं राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/राज्य के महिला स्व–सहायता समूह/तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमी को किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों हेतु रू. 10.00 लाख, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी निवेशकों हेतु रू. 10.50 लाख एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/ राज्य के महिला स्व–सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों हेतु रू. 11.00 लाख होगी ।

6.2 औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।

6.3 यदि कोई इकाई उपरोक्तानुसार दो या अधिक श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में सामान्य वर्ग के उद्यमी की तुलना में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।

6.4 पेटेन्ट पंजीकरण/अनुसंधान प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मिलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/पेटेंट शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज–सज्जा पर हुआ व्यय एवं अन्य व्यय (जिसमें यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा)।

7 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

7.1 औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग कार्यरत रखना अनिवार्य होगा ।

7.2 उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 4(3) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

8 अनुदान की वसूली –

8.1 तकनीकी पेंटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरण के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वसूल की जा सकेगी।

8.2 उपरोक्तानुसार राशि वसूली भू–राजस्व बकाया की भांति की जा सकेगी ।

8.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि अनुदान की राशि वित्तीय संस्था/बैंक/इकाई को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.4 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित अवधि के भीतर

रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 4(3) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि से संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी अथवा इकाई के अन्य प्रस्तावित/प्रचलित क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

8.5 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

8.6 उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध न कराई जाये।

8.7 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

8.8 यदि औद्योगिक इकाई अधिसूचना में निहित दायित्वों की पूर्ति न करें।

8.9 उपर्युक्त बिन्दु 7.1 से 7.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

9 अपील /वाद –

9.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष की जा सकेगी ।

9.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष की जा सकेगी।

9.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) प्रत्येक स्तर पर पृथक से भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

9.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

10 कार्यकारी निर्देश –

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगें । अनुदान से

संबंधित किसी बिन्दु पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

11 **स्वप्रेरणा से निर्णय –**

यथा आवश्यकता राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

13 इस योजना के अन्तर्गत कोई भी वाद राज्य के न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

14 **योजना का क्रियान्वयन –**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

शपथ–पत्र

मैं ..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री..... में स्थित है व प्रस्तावित पंजीयन क्र./ ई0एम0पार्ट–1 कमांक/उद्योग आकांक्षा क्र. .....दिनांक .....एवं लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्र./ई0एम0पार्ट–2 प्रमाण पत्र कमांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक..... दिनांक ..... है, निम्नानुसार घोषणा करता हूँ–

1– औद्योगिक इकाई .....ने "पेटेन्ट"/.....प्राप्त किया है/अनुसंधान पंजीयन कराया है। जिसका पंजीयन कमांक..... है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण / उत्पाद प्रकिया/सेवा गतिविधि में किया जा रहा है ।

2– यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

3– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुसंधान पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा।

4– औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति हेतु/अनुसंधान हेतु/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/ वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है /अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति/अनुसंधान हेतु उपरांत भारत सरकार /राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/ वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

(नियम 5.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई .....
.....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... में स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा क्रमांक ..... दिनांक ..... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक..... है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र/पेटेन्ट स्वीकृति प्रमाण पत्र कमांक ..... दिनांक..... ..... प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये..... .....(अक्षरों में)..... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क्र0	विवरण पेटेन्ट पंजीयन/अनुसंधान पर किया गया व्यय	पेटेन्ट पंजीयन/अनुसंधान विभाग/पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है	व्यय राशि	भुगतान राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेंन्ट एजेन्ट कमीषन व्यय			
7	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	पेटेंट शुल्क			
9	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
पंजीयन पत्र क्रमांक

"उपाबंध–3"

(नियम 5.2)

"छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2019" के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ /
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक ..... दिनांक ..... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2019 के नियम क्रमांक "5.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है :–

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– औद्योगिक इकाई का संगठन– :

4– उद्यमी का वर्ग– :

5– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

7– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

8– पेटेन्ट/अनुसंधान का पंजीयन कमांक /दिनांक /संस्था

9– पेटेन्ट/अनुसंधान पर किया गया अनुमोदित व्यय–

10– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या– .....
.....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र